LOK SABHA

Thursday, March 5, 1981/Phalguna 14, 1902 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्री मनीराम बागड़ी: अध्यक्ष जी, पहले आपोजीशन वालों को नमस्कार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आपको दो बार कर लेते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, तुलसीदास जी ने कहा है कि पहले दुष्ट को नमस्कार करना चाहिए। इस लिए पहले उधर ही कीजिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: मैं आप की राय मान लेता हूं।

क्वस्चन-श्री रामावतार शास्त्री !

श्री मनीराम बागड़ी: **

MR. SPEAKER: Not allowed. Don't record.

(*Interruptions*)

रेल कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 1968

*227. **श्री रामावतार शास्त्री:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेल कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1968 की धारा 14 (दो) के अधीन किसी भी रेल कर्मचारियों को सेवा से बरखास्त किया जा सकता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त नियमों के उपबन्धों के अधीन विभिन्न रेल विभागों में मजदूर संघ कार्यकर्ताओं को सेवा से बरखास्त किया गया है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान बरखास्त किए गए व्यक्तियों की जोन-वार संख्या कितनी है; और

(घ) उनकी बरखास्तगी के आधार क्या हैं?

THE DEPUT MINISTER IN THE MINISTRY OF RAINWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) (a) to (d). A statement is laid on Table of the House.

Statement

Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968.

(a) & (b). Railway servants, including trade union workers, are liable for disciplinary action under Rule 14(ii) of Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1968 which provides that the Disciplinary Authority wherever satisfied, for reasons to be recorded by it in writing, that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these Rules, may consider the circumstances of the case and make such orders thereon as it deems fit, consulting the Union Public Service Commission where such consultation is necessary, before any orders are made in any case under this Rule. This Rule, among other things, is with regard to imposition of major or minor penalty,

**Not recorded.

one of the major penalties being removal/dismissal from service.

(c) & (d). The information is being collected from the Railways and will be laid on the Table of the Sabha.

श्री रामावतार शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, सवाल पूछने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं आप पूरे सवाल और जवाब को पढ़िये। चूंकि ज्यादा समय लगेगा, इस लिए मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करें ।

श्री रामावतार शास्त्री: मंत्री महोदय ने आधे सवाल का जवाब दिया है और जिस बात से सरकार की मजदूर-विरोधी नीति का पर्दाफास होता है, वह उन्होंने नहीं बताई है । (ग) और (घ) के उत्तर में बताया गया है कि "रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।" मैंने पूछा था कि कितने रेल एम्पलाईज के खिलाफ कार्यवाही की गई है। यह सवाल मैंने 21 दिन पहले भेजा था ।

अध्यक्ष महोदय: सारे भारत से सूचना इकट्ठी करनी पड़ती है। इसको छिपाया तो नहीं जा सकता है। उसको लाना तो पड़ेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : उन्होंने पूरा जवाब नहीं दिया है। उन्हें पूरा जवाब देना चाहिए था। मुझे मालूम है कि उनके पास सूचना है, लेकिन वह अभी बताना नहीं चाहते हैं।

14 (दो) के तहत रेल कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है । क्या यह सच है कि इस कानून को अंग्रेजों ने देश द्रोहों को दबाने के नाम पर बनाया था? उस समय रेल मजदूर देश का काम करते थे। क्या यह कानून उनको दबाने के लिए उसी समय बनाया गया था, ताकि वे स्वतंत्रता-संग्राम में भाग न लें, जिसका सरकार ने आज तक लागू किया हुआ है? इस कानून को आज स्वतंत्र भारत में कायम रखने का क्या औचित्य है?

श्री मल्लिकार्जुन: माननीय सदस्य का यह विचार गलत है । रेल कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील) नियम 1968 के बने हुए हैं । इसका कोई सम्बन्ध अंग्रेजों से नहीं है । अंग्रेजों के जमाने में रेलवेज जरूर स्थापित हुई थीं लेकिन इन नियमों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री : आप अंग्रेजों के पद चिन्हों पर जरूर चलिए लेकिन यहां पर जवाब तो कम से कम ठीक दीजिए ।

रेल मंत्री (श्री केवार पांडे) : यह रूल्स इंडियन कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल 311 के अन्तर्गत 1968 में बनाए गए थे इसलिए अंग्रेजों का इससे कोई सरोकार नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने बहुत सफाई से पूछा था कि अंग्रेजों के जमाने में यह कानून था या नहीं ? अनुशासन के नाम पर उसी व्यवस्था को आप आगे चला रहे हैं या नहीं---यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री केवार पांडे : पहले भी यहां पर यह बात कही जा चुकी है कि इंडियन रेलवेज एक्ट 1890 का बना हुआ है । बहुत से रेल मंत्री बने हैं उन्होंने उसमें कहीं कहीं सुधार भी किए हैं लेकिन मैंने पहले ही घोषणा की है कि हम उसमें आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं जिसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए ।

श्री रामावतार शास्त्री : इस परिवर्तन में 14 (2) भी शामिल है या नहीं ?

श्री केवार पांडे : मैंने आपको बताया कि यह तो इंडियन कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल 311 के अन्तर्गत बना है और इसका अंग्रेजों से कोई सरोकार नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं ।

क्या मंत्री जी के पास जानकारी है कि लोको रनिंग स्टाफ जिन्होंने हड़ताल नहीं की थी, केवल मांस कैजुअल लीव ली थी, अपने आन्दोलन के सिलसिले में, उनमें से कितने लोगों के खिलाफ आपने क्लाज 14(2) का इस्तेमाल किया और उसको इस्तेमाल करने का क्या औचित्य था ? आपने अपने जवाब में कहा है "...किन्तु

इस नियम के अन्तर्गत किसी मामले में आदेश देने से पूर्व संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना, जहां ऐसा परामर्श करना आवश्यक हो, अपेक्षित है... " मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्यवाही की और क्या उनके ऊपर कार्यवाही करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग की इजाजत ली ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : यह सवाल ही पैदा नहीं होता है ।

We have already said that the information is being collected and it will be laid on the Tabe of the House.

श्री रामावतार शास्त्री : क्या ये इस बात से इनकार कर रहे हैं कि इन्होंने कोई कार्यवाही की—यह मैं जानना चाहूंगा ।

(व्यवधान)

मैं यह पूछता हूं कि आपने 14(2) के अनुसार किसी भी मजदूर के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? अगर की है तो उस के बारे में संघ लोक सेवा आयोग से आपने इजाजत ली है या नहीं ?

श्री सी. के. जाफर शरीफ : इसमें जो संघ लोक सेवा आयोग से इजाजत लेना या कंसल्ट करना है, उसमें जहां जरूरी है वहां करते हैं, जहां जरूरी नहीं है वहां नहीं करते हैं । इस सवाल में यह पैदा ही नहीं होता ।

श्री केवार पांडे : मैं बताता हूं । इसमें यहां क्लास वन आफिसर्स की बात है अगर 14(2) लागू करना चाहते हैं तो उसमें कंसल्ट करने की बात आती है लेकिन जहां क्लास वन की बात नहीं है, जो दूसरे तरह के आफिसर्स हैं उनमें कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है ।

SOME HON. MEMBERS: *Rose.*

MR. SPEAKER: No more supplementaries on this question. That is why I always appeal to the Members to be short in their questions so that we can have four or five supplementaries. There should be at least four supplementaries.

Next Question.

Indo-Nepal Border

\+

*228. SHRI B. V. DESAI:
SHRI R. N. RAKESH:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Napal's reported plea for scientific delineation of the border between the two countries has surprised the Indian Government;

(b) if so, whether the plea was made during the border talks which were held recently;

(c) if so, whether India has taken a stand that border with Nepal have been fully and finally demarcated; and

(d) the steps being taken in this regard?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO) (a) and (b). No, Sir, since no such request has been made by the Nepalese Government.

(c) and (d). Do not arise.

SHRI B. V. DESAI: I would like to draw the kind attention of the Minister of External Affairs, through you, Sir, to the news item in the Hindustan Times dated 9th February, 1981 wherein it has been mentioned that border talks are going on and they are demanding a scientific delineation of the order and it appears that there exists some dispute on two or three points.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: I have seen the press report. The Nepalese Government have made no recent request for a scientific delineation of the border between India and Nepal. Both India and Nepal have agreed, in principle, however, in December 1980 to set up a technical level Joint Nepal India Boundary Committee to oversee